वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 15.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर “,दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 15.12.2024

तिब्बती संस्थान की शिकायत पर वीडीए ने दो निर्माण किए सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ में गर्ल्स हास्टल के पीछे कुछ लोग अवैध बहुमंजिला निर्माण करा रहे हैं। संस्थान के कुलसचिव ने इसकी शिकायत विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से की। इसे गंभीरता से लेते हुए शनिवार को वीडीए की टीम मौके पर पहुंची और दो निर्माण को सील कर सारनाथ थाने के हवाले कर दिया गया। एक अन्य मकान को नोटिस दिया गया।

वीडीए के अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा, जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार व वर्तिका दुबे प्रवर्तन दल के साथ तिब्बती शिक्षा संस्थान पहुंचे। स्थल का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान पाया गया कि गर्ल्स हास्टल के पीछे अटल नगर कालोनी, मवईया में संदीप यादव लगभग 140 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल के ऊपर प्रथम तल का अनधिकृत निर्माण करा रहे। काम को बंद कराकर उसे नोटिस जारी कर सील कर दिया गया। इसी प्रकार वहीं ऋषि जायसवाल करीब 9600 वर्ग फीट क्षेत्रफल में भूतल के ऊपर तीसरे तल का अनधिकृत निर्माण करा रहा था। भवन स्वामी ने दावा किया कि आवासीय मानचित्र स्वीकृत है परंतु ,वह मौके पर नहीं दिखा सका जिसके बाद सील की कार्रवाई हुई। आरबी कुशवाहा का अटल नगर कालोनी में लगभग 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल व प्रथम तल का अनधिकृत निर्माण मिला। भवन स्वामी को नोटिस दिया गया। मौके पर कोई कार्य नहीं किए जाने के कारण सील की कार्यवाही नहीं की गई।

हिन्दुस्तान–दि0 15.12.2024

तिब्बती संस्थान के पास अवैध बिल्डिंगें की गई सील

वाराणसी। सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के गर्ल्स हॉस्टल के पीछे अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन को वीडीए ने सील कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही संस्थान की कुलसचिव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत की थी। अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बताया कि अटल नगर कालोनी (मवइया) में तीन निर्माणाधीन अवैध भवन सील किए गए। कार्रवाई में जोनल अधिकारी संजीव कुमार, जेई विनोद कुमार और वर्तिका दुबे थीं।

न्यायाधीश–दि0 15.12.2024

केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान,परिसर मे निर्मित गर्ल्स हास्टल के पीछे बने अनाधिकृत निर्माणों को किया गया सील

वाराणसी ।केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ वाराणसी के कुल सचिव ने अवैध निर्माण के सन्दर्भ में उपाध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा था। इस क्रम में उपाध्यक्ष महोदय की ओर से दिए निर्देश के क्रम में आज दिनांक 14.12.2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, सुश्री वर्तिका दुबे एवं प्रवर्तन दल के साथ वार्ड सारनाथ क्षेत्रांतर्गत कुल सचिव केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ वाराणसी की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण किया गया। तत्क्रम में अवगत कराना है कि परिसर में निर्मित गर्ल्स हास्टल के पीछे विद्यमान भवनों के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण निमन्वत हैः- श्री संदीप यादव द्वारा अटल नगर कालोनी, मवइन्या, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी में लगभग 140 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में जी+1 तल का अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा था, जिसे स्थल निरीक्षण के दौरान बन्द कराते हुए उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर प्रश्नगत परिसर को सील करते हुए थाना सारनाथ के अभिरक्षा मे सौप दिया गया। श्री आर0बी0 कुशवाहा द्वारा भ0सं0-सा0 15/59-एस0-बी-2, अटल नगर कालोनी, मवइन्या वार्ड-सारनाथ वाराणसी मे लगभग 120 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित जी+1 तल का अनाधिकृत निर्माण किया गया है, स्थल निरीक्षण के दौरान निर्मिणकर्ता द्वारा प्रशन्गत भवन का कोई स्वीकृत मानचित्र न प्रस्तुत करने के कारण उपरोक्त भवन के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान मे मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है तथा भवन अध्यासित होने के कारण सील की कार्यवाही नही की गयी है।-श्री ऋषी जायसवाल द्वारा अटल नगर कालोनी, मवइन्या, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी में लगभग 9600.00 वर्ग फीट के भूमि क्षेत्रफल जी+3 का अनाधिकृत निर्माण कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध पूर्व मे उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था। पुनः स्थल निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रशन्गत निर्माण का स्टिल्ट +3 तलों का आवासीय मानचित्र स्वीकृत है, परन्तु स्थल पर किसी भी प्रकार की स्वीकृत मानचित्र न दिखाने के कारण मौके पर कराये जा रहे फिनिशिंग के कार्य को बन्द कराते हुए निर्माण को सील कर थाना सारनाथ की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।